



हिन्दी दैनिक

RNI. MPHIN/2018/77427

चम्बल नवराष्ट्र

भोपाल से प्रकशित म.प्र. के उत्तरी अंचल से प्रसारित ✉ : guptavineet087@gmail.com

कार्यालय : एम.आई. ऑफ़सेट वर्क्स 91, रसीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी भोपाल (म.प्र.) फोन : 0755-4929611



पॉलिसी-पत्र

फोटो

दैनिक चम्बल नवराष्ट्र समाचार पत्र में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक निम्न शर्तों के तहत सभी तहसीलों के संवाददाता/जिला ब्यूरो प्रमुख व अन्य नियुक्त रहेंगे।

—00—

1. हर माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक अखबार के खाते में अखबार /ई-पेपर का तय अनुसार भुगतान करना होगा बिलंब से करने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त देय करना होगा। सभी जिला ब्यूरो चीफ, संवाददाता व अन्य पदाधिकारियों को अखबार अपने जिले व तहसीलों में शुरू करना अत्यंत आवश्यक रहेगा।
2. अखबार की बर्ष में दो बार निशुल्क ट्रिप करवाई जाती है जिसमें नियम शर्त लागू रहती है।
3. अखबार द्वारा बर्ष में तीन बार अखबार संचालन हेतु 15 अगस्त/26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व एवं दीपावली राष्ट्रीय त्योहार पर विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय त्योहार से 4 दिन पूर्व की तारीख का चैक 1 से 2 माह पहले ही अखबार के नाम चैक जमा किया जाना अनिवार्य होगा। विज्ञापन का भुगतान – राष्ट्रीय पर्व पर फुल पेज की राशि 25000/फुल पृष्ठ की राशि 15000/ हाफ पृष्ठ की राशि 8000/ फिक्स रहेगी। दीपावली राष्ट्रीय त्योहार पर विज्ञापन संवाददाता को राशि 3000/ जिला ब्यूरो चीफ व अन्य को राशि 7000/—फिक्स के हिसाब से नियमानुसार देना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक माह संवाददाता को 10 खबरें एवं जिला ब्यूरो प्रमुख व अन्य पदाधिकारियों को 15 खबरें भेजना अनिवार्य होगा।
5. इस अखबार में जुड़े संवाददाता/ जिला ब्यूरो प्रमुख/ व अन्य पदाधिकारियों से (15 अगस्त 26 जनवरी एवं दीपावली छोड़कर) कोई भी शासकीय विज्ञापित- विज्ञापन अखबार को दिया जाता है तो उसका भुगतान स्वयं के खाते में ना कराते हुये अखबार के खाते में काराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी 50 प्रतिशत कमीशन राशि संबधित को उनके खाते में संस्था से भुगतान होने के 1 दिवस के भीतर भेज दी जावेगी।
6. अखबार में नियुक्त जिला ब्यूरो प्रमुख अपने-2 जिलों प्रति माह की 10 तारीख तक अपने संवाददाताओं के साथ बैठक करना होगा बैठक में पूरे माह में अखबार की जानकारी प्रोसेडिंग में लिखें व अन्य नया क्या करें इस विचार कर प्रोसेडिंग में लिखें।



हिन्दी दैनिक

RNI. MPHIN/2018/77427

चम्बल नवराष्ट्र

भोपाल से प्रकाशित म.प्र. के उत्तरी अंचल से प्रसारित ✉ : guptavineet087@gmail.com

कार्यालय : एम.आई. ऑफसेट वर्क्स 91, रसीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी भोपाल (म.प्र.) फोन : 0755-4929611



- अखबार में नवीन वर्ष अप्रैल 2024-25 से 31 मार्च 2025 तक कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारण से अखबार से बाहर होते हैं तो अखबार को 15 दिवस पूर्व लिखित आवेदन व हर्जाना 10 हजार रुपये जमा करना होगा।
- समाचार विरुद्ध एवं असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने, गुमराह करने, अखबार के माध्यम से कोई अपराधिक कार्य करने, अपराधियों का साथ देने पर संबैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त निम्नलिखित विन्दुओं के नियम/ शर्तों के आधार पर अखबार में कार्य करूंगा/करता रहूंगा।

दिनांक :-

हस्ताक्षर संवाददाता/जिला ब्यूरो प्रमुख व अन्य

नाम :

पिता का नाम :

पता :

मोबा. न :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा मेरी उपस्थिति में इस पॉलिसी पत्र पर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अखबार में किस पद पर कार्यरत है.....

2/ हस्ताक्षर.....

नाम.....

अखबार में किस पद पर कार्यरत है.....